मैसर्स तारिका निर्यात एवं एक अन्य

बनाम

भारत संघ व अन्य

7 मई, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं डी.के. जैन, जे.जे.)

आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947-धारा 4-1 (1) शास्ति की देयता- सीमा शुल्क से मुक्त आयात के लिए अग्रिम अनुज्ञप्ति जारी करना- अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत निर्यात दायित्व के गैर अनुपालन, साथ ही साथ वस्तुओं का गलत उपयोग- शास्ति के अधिरोपण- की सत्यता अभिनिर्धारित: अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत अधिरोपित शर्तो का उल्लघंन- यह अनुरोध भी कि शर्ते असम्बद्ध होने से पालना करने में असमर्थता थी, शास्ति की अदायगी के लिए उत्तरदायी- इस प्रकार अधीनस्थ प्राधिकारी एवं उच्च न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप करने योग्य नही है, फिर भी वस्तुओं के मूल्य को देखते हुए शास्ति 45 लाख रूपये से घटाकर 20 लाख रूपये की गई- आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 खण्ड-8 विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992-धारा 20(2)।

निर्यात एवं आयात गतिविधियों में लगे अपीलार्थियों को सीमा शुल्क से मुक्त कुछ वस्तुओं के आयात हेतु अग्रिम अनुज्ञप्ति जारी की गई। यह

आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने सीमा शुल्क से मुक्त कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस का पूरा उपयोग किया था, लेकिन उक्त लाइसेंस के तहत तैयार माल का केवल कुछ हिस्सा निर्यात किया गया था। उन्हें लाइसेंस के तहत निर्यात दायित्व को पूरा न करने के साथ-साथ लाइसेंस के तहत आयातित माल के गलत उपयोग के लिए राजकोषीय जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्णायक प्राधिकारी ने निर्यात दायित्व में कमी के लिए जुर्माना लगाया। अपीलीय समिति ने प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भी निर्णायक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय समिति के आदेशों को बरकरार रखा। अपील के पत्र पेटेंट को भी खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि आरोप निर्यात दायित्व की तकनीकी गैर अनुपालना से संबंधित है तथा ऐसी पालना की अपेक्षा तथा मांग संबंधित अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत कच्चे माल की मात्रा जिसे आयात करने की स्वीकृति अपीलार्थीगण को थी, उसके आधार पर असंभव होने से नही की जा सकती थी।

प्रत्यर्थी भारत संघ का तर्क है कि निचले प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लघंन पर ध्यान दिया तथा आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 सपठित धारा 20(2) विदेशी व्यापार

अधिनियम की अनुमेय सीमा के भीतर शास्ति आरोपित की।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1.1 प्राधिकरण ने तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया तथा यह निष्कर्ष दिया कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आरोपित शर्तो का उल्लघंन हुआ था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष यह अनुरोध किया गया कि माल अभी भी अपीलार्थियों के पास पड़ा हुआ है। अपीलार्थियों द्वारा अनुज्ञप्ति में आरोपित शर्तो के उल्लघंन में माल का प्रयोग अथवा उपयोग करने का कोई प्रश्न नही था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा नोट किया गया कि पक्षकार द्वारा ऐसा अनुरोध पहले नही किया गया था। न तो कारण बताओ नोटिस के जवाब में और न ही अपीलीय समिति के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष भी यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था कि माल स्टॉक में पड़ा हुआ था, इसलिए उपयोग का कोई प्रश्न ही नही था। इस संबंध में कोई सामग्री प्राधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थी, जैसा कि एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया। (पैरा 9) (100-ए-सी)

1.2 यह रुख कि शर्तों का अनुपलान नहीं किया जा सकता था, पहले लिए गए रुख से भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए, यह दलील कि शर्तों का अनुपलान नहीं किया जा सकता था, अधिकारियों और उच्च न्यायालय

द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया है। (पैरा 11) (100-ई-जी)

1.3 शामिल वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखते हुए 45 लाख रूपये शास्ति की बजाय 20 लाख रूपये शास्ति न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी। (पैरा 13)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2378/2007

एल.पी.ए. संख्या 605/2003 में उच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.04.2005 से।

उदय यू. ललित, देवयानी अश्रा नंदा एवं राजीव नंदा अपीलार्थियों की ओर से।

गोपाल सुब्रमण्यम, ए एस जी, टी.एस. मूर्ति, नवीन प्रकाश एवं वी.के. वर्मा, प्रत्यर्थियो की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट को निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठ भूमि के तथ्य इस प्रकार हैः

4. अपीलकर्ताओं को माल का निर्यात न करने के साथ-साथ आयातित माल का उपयोग न करने और निर्धारित समय के भीतर निर्यात करने में विफलता के लिए धारा 4 एल के तहत कार्यवाही और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 (संक्षेप में 'नियंत्रण आदेश') के खंड 8 सपठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (संक्षेप में "विदेश व्यापार अधिनियम") की धारा 20(2) के तहत कार्रवाई के लिए आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 एल के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थीगण समय के महत्वपूर्ण बिन्दु पर आयात व निर्यात संहिता के अन्तर्गत आयात-निर्यात गतिविधियों में लगे हुए थे। दिनांक 13.10.1991 को क्षेत्रिय अनुज्ञप्ति प्राधिकरण ने अपीलार्थीगण को एक अग्रिम अनुज्ञप्ति जारी की थी। अपीलार्थीगण ने निर्विवाद रूप से सीमा शुल्क से मुक्त तैयार माल के आयात संबंध में अनुज्ञप्ति का निर्विवादित रूप से पूर्ण उपयोग किया, लेकिन उक्त अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत तैयार माल के एक भाग का ही निर्यात किया। परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व में कमी आई। अपीलार्थीगण ने निवेदन किया कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत शर्ते अवास्तविक थी, इसलिए दायित्व की पूर्ति नही करना उनके नियंत्रण से परे था। दिनांक 07.05.1995 को उक्त अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत सीमा शुल्क से मुक्त 09,10,125/- मूल्य के आयातित माल का गलत उपयोग करने के लिए प्रश्नगत राजकोषीय शास्ति प्रस्तावित करने वाला कारण बताओ नोटिस

जारी किया गया। अपीलार्थीगण ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया। अतिरिक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार (संक्षेप में 'डी जी एफ टी') ने एक आदेश दिनांक 13.11.1995 को 27,20,462/- के निर्यात दायित्व की कमी के संबंध में 45 लाख रूपये शास्ति अधिरोपित की। अपीलीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आदेश दिनांक 12.08.1997 द्वारा अपीलीय समिति ने अपीलार्थीगण की अपील को निरस्त किया। इसके पश्चात भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 (संक्षेप में 'संविधान') के अन्तर्गत एक रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जो सी डबल्यू पी 623/1998 थी। दिनांक 30.05.2003 को निर्णय पारित करते हुए एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण, साथ ही साथ अपीलीय समिति के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही था। रिट याचिका निरस्त की। लेटर्स पेटेंट अपील जो कि ऊपर बतायी गई है, खण्ड पीठ द्वारा निरस्त की गई।

5. अपीलार्थीगण का रुख यह है कि वास्तव में जो आरोप लगाया गया था वह निर्यात दायित्व की तकनीकी गैर पालना से संबंधित था। इस प्रकार की अनुपालना एवं मांग अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत तैयार माल की जिस मात्रा के लिए अपीलार्थीगण अनुमत थे, के आधार पर नही की जा सकती।

6. दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नीचे के प्राधिकारियो एवं उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया है

कि लगाई गई शास्ति धारा 4-1(1) सपठित धारा 20(2) विदेशी व्यापार अधिनियम की अनुमेय सीमा के भीतर थी।

7. कारण बताओ नोटिस के सुसंगत भाग इस प्रकार हैः

''1. आपने 40,400 अमेरिकी डॉलर के सी.आई.एफ. मूल्य की निम्नलिखित वस्तुओं के आयात के लिए अग्रिम अनुज्ञप्ति संख्या 0300410 दिनांक 13.10.1991 प्राप्त की थी:

1. डुपियन यार्न 1210 किलोग्राम

2. शहतूत कच्चा रेशम 75.00 किलोग्राम

3. फ्यूजिंग लाइनिंग अनाट्रियल 6750 किलोग्राम

2. उक्त अनुज्ञप्ति डी.जी.एफ.टी., बम्बई के जे.टी. कार्यालय से जारी की गई थी। उक्त अनुज्ञप्ति अन्य बातों के साथ ही साथ आपको निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी की गई थीः

(1) आप 5400 संख्या में शहतूत मिश्रित जैकेट/ब्लेजर के साथ फ्यूजिंग लाइनिंग सामग्री 36,42,800/- (अमेरिकन डॉलर 1,41,603.66) फ़ोब मूल्य

के पहली खेप के निर्गम की दिनांक से 09 माह की अवधि के भीतर निर्यात करेंगे।

(2) पहली खेप के निर्गम से पूर्व आप एक बंधपत्र/ एल.यू.टी. निर्यात व दायित्व की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित करेंगे।

(3) उक्त अग्रिम अनुज्ञप्ति के तहत आयातित माल अनन्य रूप से परिणामी उत्पाद के निर्माण में उपयोग किया जायेगा।

(4) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा (ए) ऊपर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात दायित्व को पूर्ण करने अथवा (बी) निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के तीस दिन पश्चात विहित प्रलेख/सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने पर, बंधपत्र/एल.यू.टी. शर्तो को प्रभाव में लाया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति धारक आयात निर्यात पुलिस और प्रक्रिया की पुस्तिका 1992-93 में विहित दण्डात्मक कार्यवाही भिन्न अनुसरण के लिए उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्ति धारक सीमा शुल्क अधिकारियो को बिना किसी आपत्ति के माल की आनुपातिक मात्रा पर निर्यात नही किये उत्पाद के अनुरूप सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। कोई भी त्रुटि के लिये

लंबित अनुज्ञप्ति प्रार्थना पत्र अथवा भविष्य में प्राप्त प्रार्थना पत्र से समायोजन के प्रति भी उत्तरदायी होगा।

(5) खण्ड-4 में कार्यवाही अनुज्ञप्ति धारक के विरुद्ध आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश दिनांक 07.10.1995 यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जा सकने वाली अन्य कार्यवाही से पूर्वाग्रह के बिना होगी।

3. आपने उक्त शर्तो के संदर्भ में दिनांक 14.01.1992 को अनुज्ञप्ति कार्यालय के साथ एक क्षतिपूर्ति सह-गारन्टी बंधपत्र निष्पादित किया। यह देखा गया है कि आपने जे.टी.-डी.जी.एफ.टी., बम्बई से केवल 1100 किलोग्राम डुपियन धागे एवं 250 किलोग्राम शहतूत कच्चे सिल्क के संबंध में अनुज्ञप्ति को संशोधित करने एवं 36750 अमेरिकी डॉलर के सी.आई.एफ. मूल्य की फ्यूजिंग लाइनिंग सामग्री को हटाने का अनुरोध किया तथा 1,41,603.66 मूल्य के परिणामी उत्पाद के निर्यात के लिए प्रतिबद्ध हुए और निर्यात विवरण अर्थात शहतूत मिश्रित रेशम वस्त्र (शॉर्ट्स, पेंट, ब्लेजर और स्कर्ट) जिनमें 1100 किलोग्राम डुपियन धागा होता है एवं 250 किलोग्राम शहतूत कच्चा रेशम होता है, को संशोधित करने का अनुरोध किया। जे.टी., डी.जी.एफ.टी., बम्बई द्वारा दिनांक 31.03.1992 को अनुरोध पर विचार किया तथा अनुज्ञप्ति को तदनुसार

संशोधित किया गया।

4. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार तथा आप द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में यह स्पष्ट है कि आपने जनवरी 1992 में उक्त अग्रिम अनुज्ञप्ति के विरूद्घ 1177.00 किलोग्राम डुपियन धागे एवं 70.00 किलोग्राम शहतूत के कच्चे रेशम का आयात किया था। हालाकि आपने 2429 शहतूत रेशम कपडो के पीस जिनका वजन डुपियन धागे 33.141 किलोग्राम तथा 78.889 शहतूत कच्ची रेशम 9,62,337.92 फ़ोब मूल्य का निर्यात किया तथा शेष 27,20,452/- फ़ोब मूल्य के 2971 पीस शेष मात्रा का निर्यात निर्धारित समय में करने में विफल रहे। आपने पत्र दिनांक 22.12.92 के माध्यम से जे.टी.-डी.जी.एफ.टी., बम्बई कार्यालय से शेष मात्रा निर्यात के लिए 06 माह का विस्तार समय सीमा में देने का अनुरोध किया। आपने जे.टी.-डी.जी.एफ.टी., बम्बई से पुनः समय सीमा विस्तार की प्रार्थना की जो आर.ए.एल.सी. द्वारा दिनांक 09.04.1993 को आयोजित बैठक में निरस्त की गई। इस प्रकार निर्यात दायित्व की अवधि दिनांक 30.04.1993 को समाप्त हो गई। इसके बाद आपने कई बार इस कार्यालय में अग्रिम अनुज्ञप्ति समिति से सम्पर्क किया, लेकिन हर बार आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। आपको इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.11.94 को कुछ प्रलेख/सूचना प्रश्नगत अग्रिम अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। आपने अपना जवाब दिनांक

05.12.1994 को भेजा और इस कार्यालय को पूर्व की अनुज्ञप्तियों तथा अन्य प्रलेखो से संबंधित अग्रिम अनुज्ञप्ति की फोटो प्रतियों की आपूर्ति की। लेकिन आप प्रश्नगत अग्रिम अनुज्ञप्ति के संबंध में वांछित प्रलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालांकि आपको दिनांक 02.02.1995 को वांछित सूचना/प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया गया था। इस कार्यालय के पत्र के जवाब में आपने निर्यात और प्राप्ति आदि के बैंक प्रमाण पत्रो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। लेकिन फिर से आप हमें वांछित सूचना/प्रलेख भेजने में विफल रहे।

न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार उल्लेख कियाः

> "उक्त अनुज्ञप्ति उन्हे संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार, बम्बई द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की गई थीः
>
> (I) वे संख्या में 5400 शहतूत मिश्रित जैकेट/ब्लेजर के साथ फ्यूजिंग लाइनिंग सामग्री 36,42,800/- (अमेरिकन डॉलर 1,41,603.66) फ़ोब मूल्य के पहली खेप की निकासी की दिनांक से 09 माह की अवधि के भीतर निर्यात करेंगे।
>
> (2) पहली खेप की निकासी से पूर्व 42,74,529.16

रूपये का बंधपत्र 5,91,729.16 रूपये की बैंक गारन्टी के साथ निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निष्पादित करेंगे।

(3) उक्त अग्रिम अनुज्ञप्ति के तहत आयातित माल अनन्य रूप से परिणामी उत्पाद के निर्माण में उपयोग किया जायेगा।

(4) (ए) उनके उक्त निर्धारित विहित समय सीमा के भीतर निर्यात दायित्व पूर्ण करने (बी) निर्यात दायित्व की समय सीमा की समाप्ति के तीस दिवस के भीतर विहित प्रलेख/सूचना प्रस्तुत करने, में विफल रहने की स्थिति में बंधपत्र/एल.यू.टी. समझौता शर्ते लागू होगी तथा अनुज्ञप्ति धारक आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रिया पुस्तिका में विहित दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भिन्न अनुसरण में उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्ति धारक सीमा शुल्क अधिकारियो को बिना किसी आपत्ति के माल की समानुपाती मात्रा से संबंधित शुल्क का भुगतान भी करेगा। कोई भी कमी के लिये इस कार्यालय में लंबित अनुज्ञप्ति प्रार्थना पत्र अथवा भविष्य में प्राप्त प्रार्थना पत्र से समायोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) खण्ड (4) की कार्यवाही आयात (नियंत्रण) आदेश,

1955 यथा संशोधित के अन्तर्गत की जा सकने वाली अन्य कार्यवाही से बिना पूर्वाग्रह के की जायेगी।

8. अपीलीय समिति ने भी न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए स्थिति का विश्लेषण किया।

9. हम यह पाते है कि प्राधिकारियो द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण कर यह निष्कर्ष दिया गया है कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आरोपित शर्तो का उल्लघंन हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि माल अभी भी अपीलार्थीगण के पास पड़ा है। अपीलार्थियो द्वारा उस माल को शर्तो के उल्लघंन में प्रयोग अथवा उपयोग में लेने का कोई प्रश्न नही था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बताया कि ऐसा कोई अनुरोध पक्षकार द्वारा पूर्व में नही किया गया था। ना तो कारण बताओ नोटिस के जवाब में तथा ना ही अपीलीय समिति के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि माल स्टॉक में पड़ा है और इस प्रकार उसको उपयोग में लेने का कोई प्रश्न नही है। जैसा कि एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से अवलोकन किया है। प्राधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

10. अधिनियम की धारा 4-1(1) में दण्डात्मक प्रावधान निम्न प्रकार

है:-

"4-1(1) शास्ति का उत्तरदायित्व- कोई व्यक्ति जो,

(ए) अनुज्ञप्ति अथवा अधिकार पत्र के अन्तर्गत आयातित माल अथवा सामग्री का प्रयोग अथवा उपयोग अनुज्ञप्ति की शर्तो और अधिकार पत्र के अनुसार नही करेगा, भिन्न प्रकार करेगा, वह ऐसे माल एवं सामग्री के संबंध में माल अथवा सामग्री के मूल्य से पांच गुना अथवा एक हजार रूपये जो भी अधिक हो, की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा माल अथवा सामग्री राजसात की गई हो अथवा राजसात करने के लिए उपलब्ध हो।"

11. यह अनुरोध कि शर्तो की पालना नही की जा सकती थी। पूर्व में किये गये अनुरोध से भिन्न है। दिनांक 22.12.1992 के पत्र द्वारा अपीलार्थीगण ने क्षेत्रिय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को 06 माह का सीमा विस्तार उन्हे शेष मात्रा का निर्यात दिनांक 30.04.1993 तक करने योग्य होने हेतु प्रार्थना की थी। उन्होने संयुक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार, बम्बई कार्यालय को पुनः सीमा विस्तार देने की प्रार्थना की। वह प्रार्थना अस्वीकार की गई। निर्यात दायित्व की समयावधि दिनांक 30.04.1993 को समाप्त हो गई। इसके बाद अपीलार्थीगण ने कई बार डी.जी.एफ.टी. कार्यालय में निर्यात दायित्व की समय सीमा के विस्तार के लिए सम्पर्क किया जिसे भी

अस्वीकार किया गया। इस प्रकार यह अनुरोध कि शर्ते पालना किये जा सकने योग्य नही थी, प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से अस्वीकार किया गया।

12. अंत में यह निवेदन किया गया कि सामान के मूल्य पर ध्यान देते हुए 45 लाख रूपये शास्ति आरोपित किया जाना अत्यधिक है। न्यूनतम शास्ति एक हजार रूपये दर्शाई गई है तथा अधिकतम संलिप्त माल के मूल्य की पांच गुना दर्शाई है।

13. संलिप्त सामान के मूल्य पर ध्यान देते हुए हमारे दृष्टिकोण में 45 लाख रूपये की अपेक्षा 20 लाख रूपये की शास्ति न्याय के उद्देश्यों को पूर्ण करेगी। यह निवेदन किया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2005 की पालना में 20 लाख रूपये की राशि अपीलार्थीगण द्वारा जमा करा दी गई है। यदि ऐसा है, तो भविष्य में राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नही होगी।

14. तदनुसार हर्जे-खर्चे का कोई आदेश नही करते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिया रघुनाथ दान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।